राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	प्रस्तुतीकरण की दिनांक	अधिवक्तागण का नाम
1.	850/2016 तुलसी राम तेली	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा–प्रथम, उदयपुर। 4. बंशी लाल मीणा पुत्र श्री राम लाल मीणा जरिये जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा–प्रथम, उदयपुर। 5. जगदीश मेघवाल पुत्र श्री गणेश लाल मेघवाल जरिये जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा–प्रथम, उदयपुर।	31.05.2016	श्री वी.के.माथुर अधिवक्ता एवं श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
2.	851/2016 रोशन लाल सुथार			

आदेश की दिनांक : 02.12.2022

समक्ष :– अनंत भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित अपीलों में विवाद का बिन्दु समान होने से अपील संख्या 850/2016 तुलसी राम तेली बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य को अग्रग अपील (Leading appeal) मानते हुए न्यायहित में एक ही निर्णय से उक्त अपीलों को एक साथ निस्तारित किया जा रहा है।

2. उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण ने आदेश दिनांक 27.7.2013 (अनुलग्नक–5) एवं आदेश दिनांक 30.7.2013 (अनुलग्नक–6) में विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिनके अंतर्गत प्रत्यर्थी विभाग ने राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम 12(2) के अधीन वर्ष 2013–14 में कोटे के तहत पदोन्नति लिए जाने के लिए स्थाई पात्रता सूची का प्रकाशन किया गया तथा आदेश दिनांक 30.7.2013 (अनुलग्नक–6) द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1957 के नियम 7(3) एवं चतुर्थ सेवा नियम, 1963 के अन्तर्गत वरिष्ठतानुसार कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति वेतन श्रृंखला 5200–20200 ग्रेड पे 2400/– रूपये में पूर्ण तथा अस्थाई तौर पर की।

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार से है –

   (i) अपीलार्थी की नियुक्ति ''प्रयोगशाला सेवक'' के पद पर श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाऐं) उदयपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 16.11.1993 (अनुलग्नक–1) द्वारा संभागीय आयुक्त, उदयपुर दिनांक 18.9.1993 को प्राप्त

अनुपलब्धता प्रमाण पत्र एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.1.1990 के अनुसार आयोजित साक्षात्कार के चयन समिति द्वारा चयन करने पर स्केल नं. 2 व वेतन श्रृंखला 775–1025 में प्रारंभिक वेतन 775/– मासिक एवं नियमानुसार मंहगाई भत्ते पर पूर्णतया अस्थाई तौर पर हुई।

(ii) जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) उदयपुर प्रत्यर्थी संख्या–3 के कार्यालय आदेश संख्या 1955–1988 दिनांक 30.7.1998 द्वारा विभाग के प्रयोगशाला बालकों (लेबवाय) स्केल नं. 2 के सभी स्वीकृत पदों से प्रत्याहरित करने पर, अधिशेष घोषित करने के बाद प्रत्यर्थी संख्या–2 के आदेश दिनांक 6.10.1997 एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 के पत्र दिनांक 15.9.1997 से प्राप्त सहमति के आधार पर अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वेतन श्रृंखला 2 तत्काल प्रभाव से समायोजित कर पदस्थापित किया।

(iii) जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, उदयपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 23.09.2008 (अनुलग्नक–3) द्वारा चयनित वेतनमान का लाभ 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 27.11.2002 से वेतनमान 2650–4000 स्वीकृत दिनांक 27.11.1993 नियुक्ति तिथि से गणना कर किया गया तथा आदेश दिनांक 16.02.2012 (अनुलग्नक–4) द्वारा 18 वर्ष से सेवापूर्ण करने पर ए.सी.पी. का लाभ दिनांक 16.12.2011 से स्वीकृत कर पे–बैण्ड 5200–20200 एवं ग्रेड पे 1800 में वेतन में फिक्स कर फिक्सेशन किया। इसके अलावा अपीलार्थी को नियमानुसार प्रथम नियुक्ति से नियमित मानते हुए समय पर कर दिया गया।

(iv) प्रत्यर्थी संख्या–3 के कार्यालय आदेश दिनांक 27.7.2013 (अनुलग्नक–5) द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की स्थाई पात्रता सूची राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम 12(2) के अधीन वर्ष 2013–14 के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर 15 प्रतिशत आरक्षित कोटे पर दिनांक 1.4.2013 के पश्चात् रिक्त होने वाले पदों के लिए जारी की, जिसमें अपीलार्थी को सम्मिलित नहीं किया तथा उससे कनिष्ठ कार्मिकों को जिनका नाम उक्त सूची में क्रमांक संख्या 60 से 67 तक दर्शाया गया है, इसके पश्चात् आदेश दिनांक 30.7.2013 (अनुलग्नक–6) द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर 15 प्रतिशत आरक्षित कोटे में पदोन्नति दे दी गई। अपीलार्थी से कनिष्ठ प्रत्यर्थी नाम उक्त आदेश में अंकित है। उक्त पदोन्नति आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो अनुलग्नक–7 है, जिसका निस्तारण विभाग द्वारा नहीं किया गया।

(v) अपीलार्थी ने पदोन्नति आदेश एवं स्थाई पात्रता सूची के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9185/2015 प्रस्तुत की, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ दिनांक 28.03.2016 (अनुलग्नक–8) के द्वारा खारिज कर दी गई।

।

4. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया कि संशोधित अधिनियम, 1976 की धारा 4(A) के अनुसार अपीलार्थी अभ्यावेदन/नोटिस के निस्तारण के उपरांत या 6 माह बाद माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु अपीलार्थी ने उपरोक्त प्रावधान की पालना बिना दिए सीधे ही अपील प्रस्तुत कर दी तथा अपील 2016 में पेश की है। अतः अपील विलम्ब से पेश करने के फलस्वरूप खारिज फरमाई जावे। राजकीय विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की नियुक्ति अस्थाई रूप से प्रतिबंधित काल में होने से उक्त नियुक्तियों को राज्य सरकार ने अनियमित मानते हुए समस्त प्रयोगशाला सेवकों की सेवाऐं समाप्त करने के आदेश पारित किए गए हैं। परन्तु तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, उदयपुर द्वारा प्रतिबंधित काल में नियुक्त अनियमित प्रयोगशाला सेवकों की सेवाओं को समाप्त नहीं किया तथा जवाब में यह अंकित किया कि अनियमित नियुक्ति होने के कारण किसी प्रकार का लाभ अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जिसके कारण पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

5. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आदेश के विरूद्ध समय पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अथवा प्रतिवेदन अनुलग्नक–7 प्रस्तुत कर दिया था, जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग ने नहीं किया, जैसे ही प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश पारित किया। अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत कर दी थी, जिसका अन्तिम निस्तारण अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता देते हुए दिनांक 28.03.2016 आदेश पारित किये। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने देरी बाबत् अपना मत उजागर कर माननीय अधिकरण को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को निर्देशित किया एवं धारा 4ए का प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न है, जिसके आधार पर माननीय अधिकरण ने नोटिस जारी कर देरी को क्षमा किया। इसके अलावा अपीलार्थी ने स्पष्ट किया कि अनुलग्नक–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसकी नियुक्ति नियमानुसार चयन प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार के आधार पर नियमित वेतन श्रृंखला में नियमों के अनुरूप होने से नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग ने की है। अतः अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति है जिसे अनियमित नहीं

कहा जा सकता। अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति होने के कारण ही चयनित वेतनमान का लाभ 9 वर्ष पूर्ण करने पर तथा ए.सी.पी. का लाभ 18 वर्ष पूर्ण करने पर नियुक्ति तिथि के आधार पर दिनांक 23.09.2008 (अनुलग्नक–3) एवं दिनांक 16.02.2012 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को दिया गया जो स्वीकृत तथ्य है। इसके आगे आदेश दिनांक 30.03.2021 (अनुलग्नक–9) द्वारा अपीलार्थी को 27 वर्ष का ए.सी.पी. का लाभ नियमित नियुक्ति तिथि 27.11.1993 के आधार पर दिनांक 27.11.2020 से स्वीकृत किया है। आदेश दिनांक 30.03.2021 (अनुलग्नक–9) के अवलोकन से स्पष्ट है कि कॉलम प्रथम में नियमित नियुक्ति तिथि दिनांक 27.11.1993 अंकित है। अतः यहाँ यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति तिथि 27.11.1993 नियमित नियुक्ति तिथि है। इसमें अपीलार्थी कि नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग से नियमित नियुक्ति नियमानुसार हुई है।

6. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने आगे यह तर्क भी दिया कि आदेश दिनांक 30.7.1998 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को प्रयोगशाला सेवको के स्वीकृत पद प्रत्याहरित किये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी को अधिशेष किया गया था न कि इनकी सेवाऐं समाप्त करने के पश्चात् नियमानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 के आदेशानुसार प्रत्यर्थी संख्या 3 के विभाग में समायोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वेतन श्रृंखला नं. 2 में किया गया था। समायोजन नियमित नियुक्ति तिथि के आधार पर ही हो सका था अन्यथा सेवा समस्त दी जा सकती थी। उपरोक्त सभी तथ्यों को प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में स्वीकृत किया है जिसमें स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित नियुक्ति है।

7. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं जवाब के आधार पर हमारे मत से यहाँ यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 15 प्रतिशत आरक्षित पदों के विरूद्ध कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए जारी स्थायी पात्रता सूची नहीं दर्शा कर त्रुटि कारित की है तथा उक्त पात्रता सूची के तहत आदेश दिनांक 30.7.2013 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति का लाभ देकर नियमों में विपरीत त्रुटि कारित कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन किया है। अपीलार्थी नियमानुसार स्थायी पात्रता सूची में अपीलार्थीगण का नाम यथास्थान अंकित होने पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति का लाभ उससे कनिष्ठ कार्मिकों को मिला, उस दिनांक से प्राप्त करने का अधिकारी ही अपीलार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्त्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1994 के नियम 32(1) एवं (6) के तहत वरिष्ठता का निर्धारण इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्ण सेवा नियुक्त किए गए कार्मिकों की पारम्परिक वरिष्ठता नियमित चयन के पश्चात् निरन्तर सेवा अवधि के अनुसार अवधारित की जावेगी तथा वरिष्ठता का निर्धारण 32(6) के अनुसार किये जाने से अपीलार्थी की वरिष्ठता अपने कनिष्ठ कार्मिकों के ऊपर स्थिर रहती है।

8. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न दृष्टांत प्रस्तुत कियेः–

(i) एस.बी. सिविल रिट संख्या 7534/2012 विजय दयाल बोहरा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय 18.9.2013

उपरोक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमानुसार चयनित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाकर नियुक्त किया जाता है तथा सेवा का लाभ चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. रिवाईज पे स्केल तथा अन्य लाभ प्राप्त कर चुका है तो उसकी नियुक्ति नियमित मानी जावेगी भले ही उसकी नियुक्ति अस्थायी रूप से की गई हो एवं ऐसा ही ए.आई.आर. 1988 सर्वोच्च न्यायालय 268 जी.सी. गुप्ता एवं अन्य बनाम एन.के. पाण्डेय एवं अन्य में पारित निर्णय 30.4.1987 में पारित निर्णय में निर्देशित किया है। अतः उपरोक्त निर्णयों के आधार पर अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति द्वारा चयन करने पर हुई थी, परन्तु अस्थाई रूप से नियुक्ति दी परन्तु वह नियमित नियुक्ति थी। इसी कारण अपीलार्थी को चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. का 9, 18 एवं 27 वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर लाभ एवं वेतन स्थिरीकरण रिवाईज पे स्केल के लाभ प्रथम नियमित नियुक्ति के अनुसार नियुक्ति तिथि के आधार पर ही दिया गया है जैसा अनुलग्नक–3, 4 एवं 9 से स्पष्ट है तथा प्रत्यर्थी विभाग ने भी इसी तथ्यों को स्वीकार किया है इसी परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी वरिष्ठता का लाभ भी नियुक्ति तिथि से प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी के अनुरूप वरिष्ठता का निर्धारण कर स्थायी पात्रता सूची में अपीलार्थीगण के नाम दर्शा कर विभाग द्वारा कारित त्रुटि को दूर कर अपीलार्थीगण को पदोन्नति का लाभ कनिष्ठ लिपिक के पद पर अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों की दिनांक से मय समस्त लाभ के साथ प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण की नियमानुसार वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उनके पदोन्नति पर विचार कर तीन माह की अवधि में आदेश पारित करे।

10. दोनों अपीलें अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

11. मूल आदेश अपील संख्या 850/2016 तुलसी राम तेली की पत्रावली में संलग्न किया जावे तथा उक्त तालिका में अंकित अन्य अपील संख्या 851/2016 में इस आदेश की एक प्रति संलग्न की जावे।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)